



कार्यालय प्राचार्य,
शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)



website- <http://bilasagirlscollege.ac.in>

email- bilasagirlscollege_bilaspur@rediffmail.com

Ph No./Fax- 07752-224249

क्रमांक /स्था./अतिथि व्या./2023

बिलासपुर, दिनांक

/2023

अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन की अनुमति/आमंत्रण सूचना

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर, का पत्र क्रमांक 504/आउशि/राज.स्था./2023, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 10.07.2023 के अनुसार सत्र 2023-24 के लिए महाविद्यालय में शासन द्वारा स्वीकृत प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के रिक्त पद विरूद्ध अतिथि व्याख्याता रूप में उनके नाम के सम्मुख विषय में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अध्यापन कार्य के लिये आमंत्रित किया जाता है :-

1. अध्यापन हेतु 40/45 मिनट के प्रति व्याख्यान हेतु रुपये 300/- का मानदेय प्रदान किया जावेगा। एक दिवस में अधिकतम 04 व्याख्यान/पीरियड दिये जा सकते हैं एवं अधिकतम प्रतिदिन रुपये 1200/- एवं अधिकतम प्रतिमाह रुपये 31200/- (इक्कीस हजार दौ सौ मात्र) मानदेय के रूप में प्रदान किया जा सकता है।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में अध्यापन कार्य समाप्त होने तक/आवश्यकतानुसार रखा जावेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जावेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष/प्रभारी प्राध्यापक के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन अध्यापन करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक महाविद्यालयों/संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के अध्यापन की अनुमति निरस्त की जा सकती है।
7. यह आदेश आपको माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा दिये गये आदेश के अधीन जारी किया जाता है।
8. यह आमंत्रण छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी तत्संबंधी आदेशों के अधीन बंधनकारी होगा।
9. महाविद्यालय में इस विषय में रिक्त पद पर नियमित शिक्षकों की नियुक्ति/स्थापनांतरण से पदस्थापना होने पर यह आमंत्रण तत्काल निरस्त होगा।
10. आप छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार आदेश जारी होने के दिनांक से पांच दिवस के भीतर अध्यापन कार्य प्रारंभ करेंगे। इस हेतु मूल प्रमाण पत्रों सहित महाविद्यालय में अनिवार्यतः अपनी उपस्थिति देंगे। अन्यथा की स्थिति में यह आमंत्रण स्वतः निरस्त माना जावेगा।

स. क्र.	नाम, पता एवं मो.न.	विषय	प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के रिक्त पद विरूद्ध	मान. उच्च न्या. छ.ग. का प्रकरण क्र. एवं पारित आदेश दिनांक
1.	प्रभा भट्ट इन्दानी सदन, महामाया विहार, वेयर हाउस रोड, बिलासपुर (छ.ग.) मो.न.- 8103291645	बी.सी.ए.	सहायक प्राध्यापक	WPS 7413 of 2019 order date 16-09-2019
2.	रितु आकांक्षा कुजुर फन्दुरडिहारी, घोवीपारा, गांधीनगर, अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.) मो.न.- 7049085995, 9340526937	गृहविज्ञान	प्राध्यापक	WPS 5792 of 2022 order date 09-09-2022
3.	राजेन्द्र कुमार द्वारा श्री सुनील साहू पुराना सरकण्डा, नाकापारा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495009 मो.न. 8871730882	प्राणीशास्त्र	प्राध्यापक	WPS 5993 of 2021 order date 27-10-2021

क्रमशः.....02

// 02 //

4.	डॉ. सीमा द्विवेदी एच 228 नर्मदा नगर बिलारापुर (छ.ग.) मो.नं.-8889085254	इतिहास	प्राध्यापक	WPS 2966 of 2019 order date 22-04-2019
5.	डॉ. राजकुमार शर्मा गुरुनानक चौक, तोरवा, बिलारापुर (छ.ग.) मो.नं.- 9669056070	संगीत	सहायक प्राध्यापक	WP (S) 3372 of 2022 order date 09-05-2022
6.	शाजिया जावेद अली द्वारा शिदायत अली खान, रिवर व्यू कॉलोनी गेट के सामने, कोनी, बिलारापुर (छ.ग.) मो.नं.-8668649156, 9827499426	उर्दू	सहायक प्राध्यापक	WPS 3373 of 2020 order date 13-10-2020
7.	शीला प्रधान गाम कुसामुण्डा, पो. बाघाडोला, जिला- रायगढ़ (छ.ग.) पिन- 496440 मो.नं. 8109261676	गणित	प्राध्यापक	WP (S) 5993 of 2021 order date 27-10-2021
8.	सूषि चौधरी 152. कुंज भवन, गोड़पारा, बिलारापुर (छ.ग.) मो.नं. 9827482814	मनोविज्ञान	प्राध्यापक	WPS 3572 of 2022 order date 13-05-2022
9.	अर्चना मिश्रा द्वारा सूर्यनारायण मिश्रा, सी 14 गणेश एकलेव कोनी जिला- बिलारापुर (छ.ग.) पिन-495009 मो.नं.7587846291	वनस्पतिशास्त्र	प्राध्यापक	WPS 3574 of 2020 order dated 14-09- 2020
10.	प्रियंका पांडे (मिश्रा) सीताराम मंदिर के पास, गोड़पारा, बिलारापुर (छ.ग.) मो.नं.9827185999, 8982346032	भौतिकशास्त्र	प्राध्यापक	WPS 3250 of 2019 order date 02-05-2019
11.	सुमति पाठक चिंगराजपारा, अमरिया चौक, पाठक गुरुजी निवास बिलारापुर (छ.ग.) मो.नं. 9907527503, 8109552989	कम्प्यूटर साईंस	सहायक प्राध्यापक	WPS 4405 of 2023 order date 12-07-2023
12.	चंचल अग्रवाल झाया एवं पोस्ट भटली जिला- बरगढ़ पिन 76803000. मो.नं. 6372923029	अर्थशास्त्र	प्राध्यापक	WPS 3372 of 2022 order date 09-05-2022

(डॉ. एस.आर. कमलेश)

PRINCIPAL
Govt. Bilasa Girls P.G. College
Bilaspur (C.G.)

बिलासपुर, दिनांक 12/8/2023

पु. क्रमांक 837/ स्या./अतिथि व्या./ 2023
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लाक सी- 3, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) ।
2. विभागाध्यक्ष/प्रभारी प्राध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. संयोजक चयन समिति, शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर को सूचनार्थ ।
4. सर्व संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. कार्यालयीन लेखा शाखा 6. कार्यालयीन प्रति- स्थापना शाखा ।



कार्यालय प्राचार्य,
शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)



website- <http://bilasagirlscollege.ac.in>

email- bilasagirlscollege_bilaspur@rediffmail.com

Ph No./Fax- 07752-224249

क्रमांक /स्था/अतिथि व्या./2023

बिलासपुर, दिनांक /2023

अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन की अनुमति/आमंत्रण सूचना

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर, का पत्र क्रमांक 504/आउशि/राज.स्था./2023, नया रायपुर, अटल नगर, दिनांक 10.07.2023 के अनुसार सत्र 2023-24 के लिए महाविद्यालय में शासन द्वारा स्वीकृत प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के रिक्त पद विरुद्ध अतिथि व्याख्याता रूप में उनके नाम के सम्मुख विषय में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अध्यापन कार्य के लिये आमंत्रित किया जाता है :-

1. अध्यापन हेतु 40/45 मिनट के प्रति व्याख्यान हेतु रुपये 300/- का मानदेय प्रदान किया जावेगा। एक दिवस में अधिकतम 04 व्याख्यान/पीरियड दिये जा सकते हैं एवं अधिकतम प्रतिदिन रुपये 1200/- एवं अधिकतम प्रतिमाह रुपये 31200/- (इकतीस हजार दू सौ मात्र) मानदेय के रूप में प्रदान किया जा सकता है।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में अध्यापन कार्य समाप्त होने तक/आवश्यकतानुसार रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जावेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष/प्रभारी प्राध्यापक के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन अध्यापन करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचारार्थीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक महाविद्यालयों/संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के अध्यापन की अनुमति निरस्त की जा सकती है।
7. यह आमंत्रण छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी तत्संबंधी आदेशों के अधीन बंधनकारी होगा।
8. महाविद्यालय में इस विषय में रिक्त पद पर नियमित शिक्षकों की नियुक्ति/स्थापनांतरण से पदस्थापना होने पर यह आमंत्रण तत्काल निरस्त होगा।
9. आप छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार आदेश जारी होने के दिनांक से पांच दिवस के भीतर अध्यापन कार्य प्रारंभ करेंगे। इस हेतु मूल प्रमाण पत्रों सहित महाविद्यालय में अनिवार्यतः अपनी उपस्थिति देंगे। अन्यथा की स्थिति में यह आमंत्रण स्वतः निरस्त माना जावेगा।

स. क्र.	नाम, पता एवं मो.न.	विषय	प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के रिक्त पद विरुद्ध
1.	श्रीमती प्रथा शर्मा, C/O श्री हर्ष कुमार शर्मा, वार्ड नं. -64, महाभाया नगर, बिरकोना, बिलासपुर (छ.ग.) मो.नं.- 9752684814	राजनीति विज्ञान	प्राध्यापक
2.	जागृति शर्मा, D/O श्री अरुण कुमार शर्मा, बिल्हा, वार्ड नं. -01, स्टेशन रोड, बिल्हा, बिलासपुर (छ.ग.) मो.नं.- 70000307727	समाजशास्त्र	प्राध्यापक
3.	पूजा यादव, हेमू नगर शिंपी कॉलोनी, बिलासपुर (छ.ग.) मो. नं.- 7803854403	गृहविज्ञान	सहायक प्राध्यापक

(डॉ. एस.आर. कमलेश)

PRINCIPAL

शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

Govt. Bilasa Girls P.G. College,

बिलासपुर, दिनांक 12/8/2023

पृ. क्रमांक 834/स्था/अतिथि व्या./2023

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लाक सी- 3, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
2. विभागाध्यक्ष/प्रभारी प्राध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संयोजक चयन समिति, शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर को सूचनार्थ।
4. सर्व संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कार्यालयीन लेखा शाखा
6. कार्यालयीन प्रति- स्थापना शाखा।

PRINCIPAL

Govt. Bilasa Girls P.G. College
Bilaspur (C.G.)